

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकल पीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या : 507 / 2016

15.12.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आदित्य माथुर / श्री मोनू अग्रवाल

सुना गया।

अधीनस्थ अधिकरण का अभिलेख तलब किया जावे।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करें, जो पेश किए जाने पर सभी प्रत्यर्थीगण को चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी किए जावें।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति